न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–76/2013–14

श्री मदन सिंह सैनी –बनाम– श्री दीपराम सैनी आदि

उपस्थितः श्री विजय कुमार ढौंडियाल, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अरूण सक्सेना।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री प्रेमचन्द शर्मा।

बावत

मौजा भानियावाला, परगना परवादून,
तहसील व जनपद देहरादून।

निर्णय

प्रस्तुत निगरानी सहायक अभिलेख अधिकारी/परगनाधिकारी, मसूरी कैम्प–देहरादून द्वारा वाद संख्या–10 वर्ष 2005–06 अन्तर्गत धारा–176/178 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में प्रतिउत्तरदाता श्री दीपराम सैनी के प्रार्थना पत्र दिनांक 23–12–2013 पर पारित आदेश दिनांक 26–02–2014 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री रतन लाल पुत्र श्री निका राम द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा–176/178 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम श्री शीतल चन्द पुत्र श्री परस राम आदि दिनांक 04–05–1976 को योजित किया गया था। इस वाद में दिनांक 29–06–1976 को प्रारम्भिक आदेश/प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई। प्रारम्भिक डिक्री पारित होने के उपरान्त दिनांक 02–07–1976 को वादी रतन लाल द्वारा अन्तिम डिक्री/कुर्रे निर्मित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून द्वारा आदेश दिनांक 30–04–1977 से कुर्रे स्वीकार किये गये और दिनांक 30–06–1977 को वाद में अन्तिम डिक्री पारित की गई। दिनांक 23–12–2013 को प्रतिउत्तरदाता श्री दीपराम सैनी ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, मसूरी के समक्ष दिनांक 23–12–2013 को राजस्व अभिलेखागार से निर्गत परवाने की प्रति भी प्रस्तुत की जिसमें सहायक कलेक्टर ने आदेश दिनांक 26–02–2014 से तहसीलदार, ऋषिकेश को परवाने की प्रति संलग्न करते हुए आवश्यक कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। तहसीलदार, ऋषिकेश ने परवाने के आधार पर खतौनी में दिनांक 19–03–2014 को प्रविष्टि अंकित की। सहायक अभिलेख अधिकारी/परगनाधिकारी, मसूरी द्वारा प्रतिउत्तरदाता श्री दीपराम सैनी के प्रार्थना पत्र दिनांक 23–12–2013 पर पारित आदेश दिनांक 26–02–2014 के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को विस्तारपूर्वक सुना एवं अधीनस्थ न्यायालय की वाद पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता प्रश्नगत भूमि पर बतौर स्वामी दिनांक 13–08–97 से लगातार अध्यासित चला आ रहा है। उक्त भूमि के स्वामी श्री रतनलाल, प्रेम सिंह, शरण सिंह श्री दीपराम प्रकाश चन्द व परसराम पुत्रगण निकाराम थे। श्री रतनलाल ने संयुक्त खाते की भूमि का बंटवारा वाद योजित किया था तथा प्रत्येक सहखातेदार का 1/6 हिस्सा बताते हुए वादी द्वारा स्वंय का हिस्सा 1/6 जमा 0.67 एकड़ बताया गया। हिस्सों पर विवाद नहीं हुआ तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 29–06–76 को

प्रारम्भिक आदेश एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी गई। वादी रतनलाल द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पारित हो जाने के बाद दिनांक 02–07–1976 को अन्तिम डिक्री/कुर्रे निर्मित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसपर पारित आदेशानुसार लेखपाल द्वारा कुर्रे निर्मित कर न्यायालय में दाखिल किये जो कि आदेश दिनांक 30–04–1977 से स्वीकार किये गये। उक्त वाद में वादी रतनलाल एवं प्रतिवादी शीतल चन्द, सरन सिंह व प्रकाश चन्द ने अपने कुर्रे निर्मित किये जाने हेतु स्टाम्प दाखिल कर दिया जिसके अनुसार कुरे निर्मित कर परवाना जारी कर दिया गया किन्तु शेष अन्य दो पक्षकार प्रेम सिंह व श्री दीपराम ने स्टाम्प दाखिल नहीं किया। न्यायालय द्वारा जारी परवाने के अनुसार जिन पक्षकारों द्वारा स्टाम्प दाखिल कर दिया गया था उनके नाम कुर्रे की भूमि पर अंकित किये जाने हेतु परवाना जारी कर दिया गया शेष दो पक्षकार प्रेम सिंह व दीपराम के नाम भूमि संयुक्त रही। अन्तिम डिक्री दिनांक 30–06–1977 के अनुसार निर्मित कुर्रों के अनुसार कब्जा दखल की कार्यवाही हेतु किसी पक्षकार द्वारा निष्पादन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही बंटवारे की डिक्री के अनुसार सम्पादन की कोई कार्यवाही जमींदारी विनाश नियमावली के अनुसार निर्धारित समयावधि एक वर्ष के अन्दर हुई। सम्पादन की समय सीमा 01 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद मूल वाद में पारित अन्तिम आदेश दिनांक 30–04–1977 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 30–06–1977 निष्प्रभावी हो गई ओर उसके अनुसार कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है। प्रतिउत्तरदाता श्री दीपराम द्वारा दिनांक 12–07–2005 को पूर्व निष्प्रभावी हो चुकी डिक्री व कुर्रे के अनुसार अपना नाम दर्ज कराने के लिए एक विविध प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि वाद संख्या–10 वर्ष 2005–06 दर्ज हुआ और प्रार्थना पत्र पर अभिलेखागार से पत्रावली अभियाचित किए जाने के आदेश पारित हुए। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के लम्बित रहते प्रतिउत्तरदाता श्री दीपराम सैनी द्वारा पुनः एक प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर, ऋषिकेश के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें पत्रावली तलब किए जाने के आदेश पारित किए गए। सहखातेदार प्रेम सिंह जो कि निगरानीकर्ता के पिता हैं ने उक्त कार्यवाही की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 19–02–2000 को परवाना जारी करने के प्रार्थना पत्र के विरूद्व आपत्ति प्रस्तुत की गई और प्रेमसिंह के जीवनकाल में ही उपरोक्त विविध वाद संख्या–10 वर्ष 2005–06 की कार्यवाही समाप्त कर पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी गई और पत्रावली सँचित किए जाने तक कोई परवाना जारी नहीं हुआ। पत्रावली दिनांक 14–02–2006 को परगनाधिकारी, सदर, देहरादून के न्यायालय में लम्बित थी और अग्रिम तिथि निर्धारित की गई थी परन्तु कलेक्टर, देहरादून के आदेश दिनांक 13–02–2006 के आधार पर पत्रावली परगनाधिकारी, मसूरी के न्यायालय में स्थानान्तरित कर दी गई। श्री प्रेम सिंह को उक्त स्थानान्तरण की कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई जिस कारण उनके द्वारा अग्रिम कार्यवाही में सम्मिलित होना दर्शित नहीं है। प्रार्थना पत्र दिनांक 12–07–2005 एवं आपत्ति 19–02–2000 को निस्तारित किए बिना ही पत्रावली अभिलेखागार में संचित कर दी गई। प्रतिउत्तरदाता ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और उसके उपरान्त अपील जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें तहसीलदार, ऋषिकेश को यह निर्देश दिए गए कि यदि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा परवाना भेजा गया है तो उसका अनुपालन नियमानुसार कर सकते हैं। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, मसूरी ने बगैर मूल पत्रावली तलब किए ही तथा मृतक पक्षकार श्री प्रेमसिंह के वारिसान को पक्ष बनाये बगैर एवं सूचित किये बगैर ही प्रतिउत्तरदाता के प्रार्थना पत्र दिनांक 23–12–2013 एवं परवाना अमल दरामद की प्रतिलिपि जो बिना तिथि के है तहसीलदार, ऋषिकेश को निर्देश जारी कर दिये। सहायक कलेक्टर द्वारा विधिविरूद्व निष्प्रभावी डिक्री के आधार पर खतौनी में प्रविष्टि अंकित करवा दी गई। सहायक कलेक्टर का प्रश्नगत आदेश निरस्त होने और निगरानी स्वीकार होने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता का तर्क है कि जमींदारी विनाश एवं भूमि अवस्था अधिनियम की धारा–176 के अन्तर्गत बंटवारे का दावा श्री रतनलाल द्वारा योजित किया गया था। आपसी समझौते के आधार पर दावा डिकी हुआ। दिनांक 05–04–77 को पटवारी ने कुर्रे बनाये जिस पर किसी ने आपत्ति नहीं की और दिनांक 30–04–77 को अन्तिम आदेश पारित हुआ जिसपर किसी पक्ष ने आपत्ति नहीं की। अवर न्यायालय की पत्रावली के कागज संख्या–15/1 पर स्व0 रतन लाल ने स्पष्ट किया है कि सभी पक्ष आपसी रजामन्दी के आधार पर अपने–अपने कुर्रे पर काबिज हैं और उनके द्वारा परवाना अमल दरामद जारी किए जाने का अनुरोध किया गया। दिनांक 01–05–78 को सहखातेदार शरण सिंह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर डिकी को अपास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिससे कार्यवाही रूक गई। अवर न्यायालय ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस प्रकरण में सहायक कलेक्टर से जाँच आख्य प्राप्त की गई थी जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया कि मूल वाद पत्रावली तलब की गई थी और यह स्पष्ट हुआ कि परवाना जारी किया गया था परन्तु उसका अमल दरामद सुनिश्चित किये बिना ही वाद पत्रावली अभिलेखागार में किन परिस्थितियों में दाखिल की गई स्पष्ट नहीं है। जिलाधिकारी और सहायक कलेक्टर ने अपने मूल कर्तव्यों का निर्वहन किया है। यदि वाद डिकी हुआ और उसका परवाना जारी हुआ तो उसका इन्द्राज करने का कर्तव्य राजस्व अधिकारियों का है। प्रतिउत्तरदाता को इसमें कोई दोष नहीं है कि परवाना अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। इसका अनुपालन तो पहले ही हो जाना चाहिए था। निगरानी बलहीन है और निरस्त होने योग्य है।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि श्री रतन लाल ने संयुक्त खाते की भूमि के बंटवारे का वाद सहायक कलेक्टर/परगनाधिकारी, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया और इस वाद में लेखपाल द्वारा दाखिल कुर्रों को स्वीकार किया गया एवं वाद डिकी किया गया। मैंने प्रकरण में सहायक अभिलेख अधिकारी/परगनाधिकारी, मसूरी कैम्प–देहरादून की आख्या दिनांक 28–04–2014 का भी सम्यक अध्ययन किया। इस आख्या में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिउत्तरदाता श्री दीपराम सैनी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मूल पत्रावली तलब की गई जिसके अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि इस न्यायालय से अमलदरामद हेतु परवाना तहसीलदार, ऋषिकेश/सर्वे नायब तहसीलदार को भेजा गया था परवाना अमलदरामद जारी करने का दिनांक तथा पीठासीन अधिकारी का नाम अंकित नहीं हो पाने के कारण तहसीलदार, ऋषिकेश को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि यदि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा परवाना भेजा गया है तो उसका अनुपालन वह नियमानुसार कर सकते हैं। सहायक कलेक्टर, मसूरी ने अपनी आख्या में रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के नियम–39 का संदर्भ देते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के नियम–39 के उपनियम–एक में परवाना जारी करने की आवश्यकता का प्राविधान है और उपनियम–तीन में स्पष्ट प्राविधान है कि जब तक परवाना अमलदरामद की दूसरी प्रतिलिपि इस लेख के साथ वापस वाद पत्रावली पर प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वाद पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल नहीं की जायेगी। मैंने रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के नियम–39 का भी अवलोकन किया जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि :– "**नियम 39. आदेश जिनके अधीन लेखपाल के कागजातों में परिवर्तन आवश्यक हो– (1)** किसी मामले में, जिनमें दिये गये आदेश अथवा डिकी के फलस्वरूप लेखपाल के अभिलेख में परिवर्तन करना आवश्यक हो ऐसे मामले को छोड़कर जिसके कारण खेवटों में परिवर्तन अन्तर्निहित हो जिसके लिए राजस्व न्यायालय नियम संग्रह के नियम 389 तथा 391 से 393 में प्राविधान किया गया है अथवा उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम 1901 की धारा–34 अथवा 35 के अधीन मामलों में उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिनके लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम , 1950 लागू होता है जिसके लिए राजस्व न्यायालय नियम संग्रह के अध्याय ए–पैंतीस में प्राविधान किया गया है, न्यायालय निर्धारित प्रपत्र में प्रविष्टि की जाने वाली तथा हटाई जाने वाली प्रविष्टियों का पूर्ण विवरण देते हुए आदेशों का

एवं पृथक से संक्षिप्त विवरण तैयार करेगा तथा लेखपाल के कागजातों में नयी प्रविष्टियाँ अंकित किए जाने के लिए तहसीलदार को निर्देश देगा। यह आदेश तहसीलदार को दो प्रतियों में भेजा जायेगा, द्वितीय प्रति कार्बन कागज से तैयार की जायेगी।

(3) यह प्रपत्र तहसीलदार अथवा निचले न्यायालय को जैसी भी स्थिति हो, को भर कर भेज दिया गया है इसकी प्रविष्टि अहलमद अथवा न्यायालय के किसी अन्य अधिकारी द्वारा आदेश–पत्र पर कर दी जायेगी और पत्रावली तब तक अभिलेख कक्ष को नहीं भेजी जायेगी जब तक कि प्रपत्र का कूपन उप–नियम (1) में संदर्भित टिप्पणी सहित तहसीलदार से वापस प्राप्त न हो जाये। ''

रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल में दी गई उपरोक्त व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में परवाना जारी हुआ है तो उसका इन्द्राज यथा समय आर–6 पंजिका में किया जाना चाहिए था। यदि सम्बन्धित न्यायालय से परवाना जारी नहीं किया गया और उसका इन्द्राज अभिलेखों में नहीं किया गया तो इसके लिए प्रतिउत्तरदाता को दोषी नहीं माना जा सकता। यह मूल न्यायालय का कर्तव्य था कि वह प्रकरण में नियमानुसार यथा समय परवाना जारी करता। साथ ही प्रकरण में परवाना जारी किए बिना ही वाद पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित कर दी गई तो इसकी त्रुटि सम्बन्धित न्यायालय की है न कि प्रतिउत्तरदाता की। सहायक कलेक्टर की प्रश्नगत आख्या में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भूमि लेख नियमावली के नियम 258, 262क एवं 265 को एक कम में पढ़ने से स्पष्ट है कि आर–6 में सक्षम न्यायालयों के आदेशों का इन्द्राज करके सम्बन्धित लेखपालों को सूचित करे राजस्व अभिलेखों खतौनी/खेवट में इन्द्राज करा कर प्रमाणित करने का दायित्व रजिस्ट्रार कानूनगो का है। अतः यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन किया गया है जिसमें कोई त्रुटि परिलिक्षित नहीं होती है। सहायक कलेक्टर ने अपनी आख्या में यह भी स्पष्ट किया है कि सम्बन्धित वाद की मूल पत्रावली तलब की गई थी जिससे स्पष्ट हुआ कि परवाना जारी किया गया था, उक्त परवाने का अमल दरामद सुनिश्चित किये बिना वाद पत्रावली अभिलेखागार में किन परिस्थितियों में दाखिल की गई यह मूल पत्रावली पर कोई अभिलेख दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है जिसमें कोई त्रुटि अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। आदेश दिनांक 26–02–2014 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

बलहीन होने के कारण निगरानी निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 26–02–2014 यथावत रहेगा। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 18/1/16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।